कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शहडोल (म०प्र०)

क्रमांक/विद्या/मान्यता/अनु०/06/94 शहडोल, दिनांक- 29.11.06

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र०/एफ/73-2/20/ भोपाल दिनांक 26.08.94 के अनुसार अशासकीय शाला St. Thomas English Medium School. Jaisingnagar को वर्ष 2006-07 में कक्षा 1 से 4 कक्षाएँ खोलने की सूचना निम्न बिन्दुओं के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत की है।

1/ कौन सी कक्षा खोली गई उसका विवरण एवं दिनांक स्थान सहित।

2/ भवन की व्यवस्था का विवरण।

3/ छात्रों से वसूल किये जा रहे शिक्षण शुल्क का विवरण।

4/ दर्ज छात्र संख्या।

5/ शिक्षकों की संख्या।

अतः कक्षा 1 से 4 तक विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाती है।

29.11.06

जिला शिक्षा अधिकारी
शहडोल म०प्र०
28/11/06

पृ०क्र०/विद्या/मान्यता/अनु०/06/94 शहडोल, दिनांक 29.11.06

प्रतिलिपि:-

1/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जयसिंहनगर
2/ संस्था प्रधान St. Thomas English Medium School. Jaisingnagar
जिला- Shahdol. म०प्र०
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

29.11.06

जिला शिक्षा अधिकारी
शहडोल म०प्र०
28/11/06

Rt.Rev.Gregorios Mar Stephanos Episcopa
Chairman/Manager
St.Thomas English Medium High School
Gram Khusarwah, Jaisinghnagar
Distt. Shahdol (M.P.) 484771

Principal
St.Thomas English Medium High School
Jaisinghnagar

कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.)

PH-NO-07652-240822, E-mail-jdedushd@mp.gov.in

क्र./मान्यता/2014 300(A) शहडोल, दिनांक : 19/06/14

प्रति,

सेंट थोमस इंग्लिश
मीडियम स्कूल जयसिंहनगर
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय :– नवीन मान्यता/नवीनीकरण के संबंध में।

---00---

विषयांकित के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। जिस पर विचार करते हुए आपको कोड क्रमांक Sh1004 आबंटित कर अस्थाई मान्यता वर्ष 2014–2015 हेतु आपको निम्न शर्तो के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. शाला/स्कूल/संस्था राज्य/संभागीय शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों/निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के लिए पूर्ण रूपेण उपलब्ध रहेंगे।
2. आपके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के संबंध में दी गई जानकारी अनुसार यदि राज्य/संभागीय दल द्वारा कमियां पाई जाती है तो तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
3. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2010 में दिए गए मापदण्डों/निर्देशानुसार यदि निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाती है तो तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मध्यप्रदेश रेग्युलेशन के सभी प्रावधानों का पूर्ण रूपेण अक्षरशः व सही पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इसमें से किसी भी प्रावधान का पालन न किये जाने की दशा में विभाग यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
5. संस्था समय–समय पर विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी, निर्धारित सामयिक रिपोर्ट/रिटर्न/सूचनाएं यथा समय निर्देशासनुसार प्रस्तुत करेगी।
6. संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सृजनात्मक विकास, मनोरंजन और खेल–कूद के विकास के लिए भी समुचित उपाय करेगी।
7. आपके प्रतिवेदन पश्चात कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आपके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की गई है यदि निरीक्षण दौरान यह पाया जाता है कि आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है तो आपकी संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
8. संलग्न पत्र क्र. 300(A) दिनांक 19/06/14 एवं क्र. 300(A) दिनांक 19/06/14 में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण समय–सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में आपकी संस्था का मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः आप उपरोक्त शर्तो के अध्याधीन रहते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के मापदण्डों के अनुरूप संस्था का संचालन किये जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपकी संस्था का मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
शहडोल संभाग शहडोल

पृ.क्र./मान्यता/2014 शहडोल, दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
शहडोल संभाग शहडोल

Principal
St.Thomas English Medium High School
Khusarwah, Jaisinghnagar

Rt.Rev.Gregorios Mar Stephanos Episcopa
Chairman/Manager
St.Thomas English Medium High School
Gram Khusarwah,Jaisinghnagar